कार्यालय	जिला	बेसिक	शिक्षा	अधिकारी गाजियाबाद।
पत्रांक मान्यता / प्रबन्धक	4704	4705/	2021-22	दिनांक 2512 (2099
सेंट फान्सिस रव	ूल			
अभयखण्ड—॥।–2 गाजियाबाद।	१ इन्दिरापु	रम		

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 20–01–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अपने विद्यालय को प्रदान की गई अस्थायी मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है। आपके स्तर से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार आपके विद्यालय को इस कार्यालय द्वारा कक्षा–01 से कक्षा–05 तक (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/8964–65/2019–20 दिनांक 13–01–2020 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति दिनांक 08-02-2022 के आधार पर शासनादेश<u>संख्या-89/अरसट-3-2018-2041</u> दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसट-3-2020-2041/ 2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्ते पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई अस्थायी मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

> (ब्रजभूषण चौधरी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

पृ0स0 मान्यता / / 2021–22 तद्दिनांक प्रतिलिपि– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।

> जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

ST. FRANCIS SCHOOL Abhay Khand-III/2, Indirapuram, GHAZIABAD-201010

कार्यालय	जिला	बेसिक	शिक्षा	अधिकारी	गाजियाबाद ।
पत्रांक मान्यता/	4702-	4703/:	2021-22		雨 35/2/2022
प्रबन्धक,					
सेंट फान्सिस स्व	201				
अभयखण्ड−Ⅲ−2		रम			
गाजियाबाद।					

कृपया आप अपने पत्र दिनांक 20--01-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अपने विद्यालय को प्रदान की गई अस्थायी मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है। आपके स्तर से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार आपके विद्यालय को इस कार्यालय द्वारा कक्षा-06 से कक्षा-08 तक (हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम) की मान्यता कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/8908-10/2019-20 दिनांक 10--01-2020 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति दिनांक 08-02-2022 के आधार पर शासनादेश <u>संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041</u> दिनांक 11-01-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/ 2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्ते पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई अस्थायी मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ब्रजभूषण

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पृ०स० मान्यता / / 2021–22 तद्दिनांक प्रतिलिपि– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।

> जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

ST. FRANCIS SCHOOL Abhay Khand-III/2, Indirapuram, GHAZIABAD-201010